भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।
राजस्व न्यायालय

नामांतरण अपील वाद संख्या–08/2020–21

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
14.09.2022	अभिलेख उपस्थापित किया गया। अपीलार्थी/प्रथम पक्ष गीता चटर्जी, पति–श्री प्रवीर चटर्जी, निवासी–टाउन काली मंदिर रोड, वार्ड नं0–03, केडिया पेट्रोल पम्प के बगल में, चक्रधरपुर, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम ने अंचल कार्यालय, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या–299/R27/2019–20, दिनांक–19.08.2019 में पारित आदेश के विरूद्ध (Appeal U/S 15 of the Bihar Tenants Holding Maintenance of Record) Act 1973 के अन्तर्गत न्यायालय में आवेदन पत्र दायर कर नामांतरण अपील वाद प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी/प्रथम पक्ष के आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय में नामांतरण अपील वाद संख्या–08/2020–21, दिनांक–18.11.2020 को प्रारंभ की गई है, जिसमें (1) कोयलीया मुखर्जी, पिता–स्व0 हरेन्द्र नाथ मुखर्जी, निवासी–क्वार्टर नं0–J 2/2, स्टेशन रोड, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम (2) निकेश सिंघानियां, पिता–सुशील कुमार सिंघानियां, निवासी–पोटका मेन रोड, वार्ड नं0–19, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम (3) माखन लाल अग्रवाल, पिता–स्व0 राम कुमार अग्रवाल, निवासी–पुराना राँची रोड, वार्ड नं0–06, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम को प्रतिवादी (द्वितीय पक्ष) बनाया गया है।	

वाद भूमि की विवरणी

मौजा	थाना नं0	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा
चक्रधरपुर नगरपालिका, वार्ड नं0–07	68	96	66a	0.01.312 ए0
			66b	0.00.062 ए0
			66c	0.04.725 ए0
			66d	0.01.375 ए0
			66e	0.01.000 ए0
			67a	0.01.062 ए0
			67b	0.02.062 ए0
			67c	0.02.250 ए0
			67d	0.11.250 ए0
			कुल रकवा	0.25.098 ए0

सुनवाई के दौरान प्रथम पक्ष का कथनः–

बहस के दौरान अपीलार्थी (प्रथम) के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि हाल सर्वे सेटलमेंट खतियान में (1) सुधीर कुमार चटर्जी (2) अनिल कुमार चटर्जी (3) सुनील कुमार चटर्जी (4) सरोज कुमार चटर्जी (5) सुशील कुमार चटर्जी एवं (6) प्रफुल्लो उर्फ प्रोतुल कुमार चटर्जी, सभी का पिता–राम किंकर चटर्जी का नाम दर्ज है। अपीलार्थी/प्रथम पक्ष खतियानी रैयत अनिल कुमार चटर्जी का वारिस है। अनिल कुमार चटर्जी का शादी स्निग्धा चटर्जी से हुआ था। इनके तीन पुत्र (1) स्व0 प्रणव कुमार चटर्जी (2) प्रोवीर कुमार चटर्जी एवं (3) स्व0 अमिताभ चटर्जी। इनके तीन पुत्रों में प्रणव कुमार चटर्जी एवं अमिताभ चटर्जी का अविवाहित निःसंतान मृत्यु हो गया। अपीलार्थी/प्रथम पक्ष गीता चटर्जी, अनिल कुमार चटर्जी की पत्नी–स्निग्धा चटर्जी का पुत्रवधु है एवं प्रोवीर कुमार चटर्जी का पत्नी है। गीता चटर्जी, पति–प्रोवीर कुमार चटर्जी को एक पुत्र प्रमाण चटर्जी एवं दो पुत्री (1) प्राची चटर्जी एवं (2) प्रमीता चटर्जी है। अपीलार्थी/प्रथम पक्ष गीता चटर्जी के पति प्रोवीर कुमार चटर्जी एवं इनका पुत्र प्रमाण चटर्जी, अमिताभ चटर्जी के हत्या के आरोप में जेल में बंद है एवं मामला Principal District एवं Session Judge प0 सिंहभूम, चाईबासा में लंबित है। अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इसका फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या–1 कोयलिया मुखर्जी वाद भूमि का नामांतरण अपने नाम से करा लिया। विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि यद्यपि प्रतिवादी संख्या–1 कोयलिया मुखर्जी, अमिताभ चटर्जी का पत्नी नहीं है। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि खतियानी रैयत सुधीर कुमार चटर्जी एवं इनकी पत्नी की निःसंतान मृत्यु हो गई है एवं अन्य खतियानी रैयत सरोज कुमार चटर्जी का अविवाहित मृत्यु हो चुका है। इस प्रकार 6(छः) खतियानी रैयत में से केवल प्रफुल्लो उर्फ प्रोतुल कुमार चटर्जी वर्तमान में जीवित हैं। खतियानी रैयत सुधीर कुमार चटर्जी एवं सरोज कुमार चटर्जी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण वाद भूमि का अन्य जीवित खतियानी रैयत एवं इनके उत्तराधिकारी (1) अनिल कुमार चटर्जी (2) सुनील कुमार चटर्जी (3) सुशील कुमार चटर्जी एवं (4) प्रफुल्लो उर्फ प्रोतुल कुमार चटर्जी बराबर का अंशदार है। अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रतिवादी संख्या–1 कोयलिया मुखर्जी द्वारा अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को नामांतरण वाद संख्या–299/R27/2019–20, दिनांक–19.08.2019 के निष्पादन के दौरान पारिवारिक समझौतानामा संख्या–91(DOF), दिनांक–12.11.2018 समर्पित किया गया है, जिसमें अन्य 4(चार) अंशदार अनिल कुमार, सुनील कुमार, सुशील कुमार चटर्जी एवं प्रफुल्लो उर्फ प्रोतुल कुमार चटर्जी के मध्य भूमि का पारिवारिक बंटवारा किया गया है। आपसी पारिवारिक बंटवारा में प्रत्येक को 0.06.274 एकड़ भूमि हिस्से में प्राप्त हुआ, जिसमें से 03(तीन) अंशदार सुशील कुमार चटर्जी, सुनील कुमार चटर्जी एवं प्रफुल्लो उर्फ प्रोतुल कुमार चटर्जी अपने–अपने हिस्से की भूमि जमाबंदी रैयत अनिल कुमार चटर्जी को स्वेच्छा से दे दिया। पारिवारिक बंटवारानामा में उक्त सभी जमाबंदी रैयत एवं जमाबंदी रैयत के उत्तराधिकारी का हस्ताक्षर दर्ज है। विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा उक्त पारिवारिक बंटवारानामा पर हस्ताक्षर किये गए जमाबंदी रैयत एवं जमाबंदी रैयत के उत्तराधिकारी को नोटिस निर्गत कर इस संबंध में जाँच पड़ताल नहीं की

गई। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा नामांतरण वाद संख्या–299/R27/2019–20, दिनांक–19.08.2019 को स्वीकृत किया गया है, जो नामांतरण अधिनियम/नियम/परिनियम के अधीन नहीं है।

विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उक्त के आलोक में इस नामांतरण अपील वाद को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा नामांतरण वाद संख्या–299/R27/2019–20, दिनांक–19.08.2019 में पारित स्वीकृत आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

सुनवाई के दौरान द्वितीय पक्ष का कथनः–

सुनवाई के दौरान द्वितीय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा बतलाया गया कि प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी संख्या–1 कोयलिया मुखर्जी से प्रतिवादी संख्या–2 एवं 3 क्रमशः निकेश सिंघानियां एवं माखन लाल अग्रवाल द्वारा दलील संख्या–451, दिनांक–21.09.2020 को क्रय किया गया है। क्रय करने के पश्चात् अंचल कार्यालय, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या–637/R27/2020–21, दिनांक–07.01.2021 द्वारा नामांतरित होकर है अद्यतन लगान कायम है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी संख्या–2 एवं 3 का ही दखल–कब्जा कायम है। प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी/द्वितीय संख्या–1 कोयलिया मुखर्जी को पारिवारिक बंटवारानामा संख्या–91(DOF), दिनांक–12.11.2018 के आलोक में उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत भूमि अंचल कार्यालय, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या–299/R27/2019–20, दिनांक–19.08.2019 द्वारा स्निग्धा चटर्जी के पुत्रवधु कोयलिया मुखर्जी के नाम से नामांतरित है। अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी/द्वितीय पक्ष संख्या–1 कोयलिया मुखर्जी का पति अमिताभ चटर्जी का हत्या अपीलार्थी/प्रथम पक्ष गीता चटर्जी के पति–प्रोवीर चटर्जी द्वारा किया गया, जिसका मामला Principal District एवं Session Judge प0 सिंहभूम, चाईबासा में लंबित है एवं प्रोवीर चटर्जी वर्तमान में उक्त मामले के आरोप में चाईबासा कारागार में है।

अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि स्निग्धा चटर्जी बनाम् प्रोवीर चटर्जी के बीच सन् 2006 में Judicial Magistrate 1st class, Porahat Chaibasa के न्यायालय में G.R Case No.19/2006 स्निग्धा चटर्जी के द्वारा दायर किया गया था, जिसमें अपीलार्थी/प्रथम पक्ष गीता चटर्जी के पति–प्रोवीर चटर्जी को आरोपी बनाया गया था। इस वाद में स्निग्धा चटर्जी एवं प्रोवीर चटर्जी के बीच दिनांक–28.08.2006 को समझौता हुआ था, जिसमें अपीलार्थी/प्रथम पक्ष के पति–प्रोवीर चटर्जी द्वारा चेक संख्या–687313, दिनांक–28.06.2006 के माध्यम से 1,80,000/– (एक लाख अस्सी हजार) रूपये चेक के माध्यम से एवं 20,000/– (बीस हजार) रूपये नकद प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि से अपना दावा छोड़ चुका है, जिसमें उपीलार्थी गीता चटर्जी का भी हस्ताक्षर है। वर्तमान में अपीलार्थी/प्रथम पक्ष चक्रधरपुर में नहीं रह रही है। अन्य खतियानी रैयत एवं इनके उत्तराधिकारी द्वारा कभी भी प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का दावा/हक नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 कोयलिया मुखर्जी का विवाह अमिताभ चटर्जी से सामाजिक रीति–रिवाज से दिनांक–05.05.2011 को संपन्न हुआ था। चूंकी प्रतिवादी संख्या–1 कोयलिया मुखर्जी अमिताभ चटर्जी का पत्नी है अतएव प्रश्नगत भूमि का वे वैद्य उत्तराधिकारी

है। प्रतिवादी संख्या–1 कोयलिया मुखर्जी अपने हक की भूमि को ही प्रतिवादी संख्या–2 एवं 3 क्रमशः निकेश सिंघानियां एवं माखन लाल अग्रवाल को बिक्री की है, जिसका दाखिल–खारिज भी उक्त क्रेताओं के नाम से हो चूका है एवं प्रश्नगत भूमि पर उक्त क्रेताओं का दखल–कब्जा कायम है।

उक्त के आलोक में विज्ञ अधिवक्ता द्वारा इस अपील वाद को न्यायालय से खारिज करने का अनुरोध किया गया।

हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन इस प्रकार है:–

1. आवेदित भूमि रैयती खाते की भूमि है तथा हाल सर्वे खतियान में खतियानी रैयत सुधीर कुमार चटर्जी एवं अन्य के नाम से दर्ज है।
2. पंजी–II पृष्ठ संख्या–94, खण्ड–1 में जमाबंदी रैयत सुधीर कुमार, अनील कुमार, सुनिल कुमार, सरोज कुमार, सुशील कुमार एवं प्रफुल्लो कुमार चटर्जी के नाम से दर्ज होकर लगान कायम है।
3. स्थल जाँच के दौरान पाया गया कि रैयत सुधीर कुमार चटर्जी का निधन निःसंतान हो गया एवं जमाबंदी रैयत सरोज कुमार चटर्जी का निधन अविवाहित हो गया। अन्य चार अंशदार अनिल कुमार, सुधीर कुमार, सुनील कुमार, सुशील कुमार एवं प्रफुल्लो कुमार चटर्जी के मध्य भूमि का बंटवारा किया गया। आपसी पारिवारिक बंटवारा में पाये गए अंश में तीन अंशदार सुनील कुमार चटर्जी, सुशील कुमार चटर्जी एवं प्रफुल्लो कुमार चटर्जी सभी ने अपने–अपने हिस्से की भूमि जमाबंदी रैयत अनिल कुमार चटर्जी के पक्ष में स्वेच्छा से मुक्त कर दिया है, जिसका वर्णन शपथ पत्र संख्या–91 (DOF), दिनांक–12.11.2018 में सभी जमाबंदरी रैयत के हस्ताक्षरयुक्त दर्ज है।
4. आवेदिका कोयलिया मुखर्जी, पति–अमिताभ चटर्जी जमाबंदी रैयत अनिल कुमार चटर्जी की पुत्रवधु है। जमाबंदी रैयत अनिल कुमार चटर्जी के तीन पुत्रों में प्रणव कुमार चटर्जी की मृत्यु निःसंतान हो गयी है तथा प्रोवीर कुमार चटर्जी, पिता–स्व0 अनिल कुमार चटर्जी ने अपनी भूमि के हिस्से के एवज में अपनी माता श्रीमति स्निग्धा चटर्जी से चेक व केश के द्वारा राशि का भुगतान पाया, जो कि पारिवारिक सेटलमेंट में दस्तावेज के साथ संलग्न है तथा प्रोवीर कुमार चटर्जी ने पारिवारिक सेटलमेंट में सभी बातों को समझकर सहमति के साथ हस्ताक्षर किया।
5. स्थल जाँच के दौरान आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल–कब्जा पाया गया एवं किसी का किसी प्रकार का आपत्ति/दावा नहीं पाया गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं के पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के अवलोकन के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि वाद भूमि खतियानी रैयत एवं इनके उत्तराधिकारियों द्वारा आपसी पारिवारिक बंटवारानामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या–1 कोयलिया मुखर्जी के पूर्वजों को प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी संख्या–1 कोयलिया मुखर्जी को प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुआ है। वे अपने हक एवं दखल की भूमि को प्रतिवादी संख्या–2 निकेश सिंघानियां एवं प्रतिवादी संख्या–3 माखन

लाल अग्रवाल को बिक्री किया है।

अपीलार्थी/प्रथम पक्ष गीता चटर्जी ने भी खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी होने के नाते प्रश्नगत भूमि पर हक/दाबा किया है परन्तु प्रतिवादी संख्या–1 कोयलिया मुखर्जी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर हक एवं दाबा के संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसे नकारा नहीं जा सकता है। वर्तमान में अपीलार्थी/प्रथम पक्ष का प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी/प्रथम पक्ष द्वारा खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर हक/दाबा किया जा रहा है। हक एवं दाबा के संबंध में किसी प्रकार का आदेश/निदेश पारित करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अपीलार्थी चाहे तो हक एवं दाबा के संबंध में सक्षम न्यायालय/प्राधिकार में वाद दायर कर सकते हैं।

हल्का कर्मचारी अंचल कार्यालय, चक्रधरपुर के प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत भूमि पर कोयलिया मुखर्जी का दखल–कब्जा कायम था। प्रतिवादी संख्या–1 कोयलिया मुखर्जी द्वारा प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी संख्या–2 निकेश सिंघानियां एवं प्रतिवादी संख्या–3 माखन लाल अग्रवाल को बिक्री के पश्चात् वर्तमान में प्रतिवादी संख्या–2 एवं प्रतिवादी संख्या–3 का प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा कायम है।

अतएव अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या–299/R27/2019–20, दिनांक–19.08.2019 में पारित नामांतरण स्वीकृति आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी/प्रथम पक्ष के आवेदन पत्र एवं इस नामांतरण अपील वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को उपलब्ध करावें।

14.9.2021

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

Digitally signed by KUSHALMY KINETH MUNDU
Date: 2025.06.05 15:59:04 +05:30
Location: 10.93.69.133